न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 10 सन् 2019

पंजीयन दिनांक 17.01.2019

पारस पत्नि आजाद जाति जाट निवासी उदपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. पटवारी पटवार हल्का उदपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 138/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2018

उपस्थित– 1. शिवनारायण जाट –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 1 व 2

निर्णय **दिनांक 20.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादिया ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सांकेडा तहसील चित्तौड़गढ़ की हाल आराजी नम्बर 90 रकबा 0.72 हैक्टेयर आराजी नम्बर 91 रकबा 0.22 हैक्टेयर आराजी नम्बर 92 रकबा 0.12 हैक्टेयर आराजी नम्बर 93 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा कुल रकबा 1.74 हैक्टेयर राजकीय कृषि भूमि अवस्थित है, जिस पर अपीलान्ट वादिया का विगत 15 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्ट वादिया उक्त बिलानाम कृषि भूमि पर लागत लगाकर कृषि योग्य बनाया है। अपीलान्ट वादिया का कब्जा मुखालफाना चला आ रहा है। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही कर रेस्पोडेन्टगण अपीलान्ट वादिया को बेदखल करने पर आमादा है। जिससे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की तामील मे प्रकरण विचाराधीन था। उक्त पत्रावली राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत मे नियत की गई। राजस्व लोक अदालत मे अपीलान्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादिया व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया व उभयपक्ष को सुने जाने के पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने राजकीय भूमि पर कब्जा मुखालफाने के आधार पर खातेदारी दिये जाना उचित नही होना मानते हुए व वादपत्र विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादिया ने इस न्यायालय मे निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया की ओर से निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादिया ने अपील म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र मे यह निवेदन किया गया कि अपीलान्ट वादिया को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अधिवक्ता के द्वारा पैरवी की जा रही थी जिससे अपीलान्ट वादिया को निर्णय व डिक्री की जानकारी नही थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.01.2019 को हुई व दिनांक 02.01.2019 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। तत्पश्चात् वाद जानकारी बिना किसी विलम्ब के अपील प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादिया ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया की ओर से मौजा सांकेडा तहसील चित्तौड़गढ़ की हाल आराजी नम्बर 90 रकबा 0.72 हैक्टेयर आराजी नम्बर 91 रकबा 0.22 हैक्टेयर आराजी नम्बर 92 रकबा 0.12 हैक्टेयर आराजी नम्बर 93 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा कुल रकबा 1.74 हैक्टेयर की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र कब्जा मुखालफाने के आधार पर प्रस्तुत किया गया। वादपत्र की ताईद मे नकल जमाबन्दी व धारा 91 के नोटिस की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। जिससे विवादग्रस्त कृषि आराजीयात पर अपीलान्ट वादिया का नियमन योग्य कब्जा होकर अपीलान्ट वादिया कब्जा मुखालफाने के आधार पर घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी थी। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्रकरण को लोक अदालत मे नियत कर बिना साक्ष्य व सबूत के अपीलान्ट वादिया का वादपत्र विधि विपरीत होना मानते हुए निरस्त किये जाने की डिक्री पारित की है जिससे अपीलान्ट वादिया की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण बताते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र कब्जा मुखालफाने के अनुसार घोषणा का था। वादिया अपीलान्ट ने वादपत्र मे राजकीय भूमि पर कब्जा मुखालफाना व नियमन योग्य कब्जा होना बताते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

वादपत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र राजकीय भूमि का होने से विधि द्वारा वर्जित था। लोक अदालत के तहत उभयपक्षकारान को सुना जाकर अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विधि वर्जित होने से निरस्त किया है। अपीलान्ट वादिया ने गलत तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट वादिया ने राजकीय भूमि पर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण की बिना सहमति के अतिचार किया है। राजकीय भूमि पर अतिचार होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अतिचार की कार्यवाही का नोटिस रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा वर्ष 2015 मे जारी किया गया जो अपीलान्ट वादिया ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत किया है। अतिक्रमण के आधार पर कब्जा मुखालफाने को आधार बनाकर अतिक्रमण की कार्यवाही मे व्यवधान पैदा करने के लिये अपीलान्ट वादिया ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत किया है। उक्त वादपत्र को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत मे नियत किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनकर राजकीय भूमि पर कब्जा मुखालफाने का सिद्धान्त लागू नही होना मानते हुए व अपीलान्ट वादिया का वादपत्र विधि विपरीत होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। यद्यपि लोक अदालत मे पत्रावली जाने से पूर्व पत्रावली तामील हेतु नियत थी, परन्तु लोक अदालत मे उभयपक्ष उपस्थित हुए। उभयपक्षो को सुनकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया है। निर्णय मे यह माना है कि अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विधि विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिनुकुल होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट वादिया अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 138/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2018 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

अपील सं. 10/2019 /डिक्री

श्री पारस पुत्र आजाद जाति जाट बनाम
निवासी उदपुरा तहसील व जिला
चित्तौड़गढ़

(1) श्री भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़
तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
(2) पटवारी पटवार हल्का उदपुरा तहसील
व जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलान्ट -रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ दि. 19-6-2018
प्रकरण सं. 138/2017 अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का.अ. 1955
निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 20-6-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री शिवनारायण जाट रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अभिभाषक रेस्पो सं. 1,2 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि –
अपील अपीलांट वादिया अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 138/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 19-6-2018 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ....—........ रुपये हैं, ...—........ द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ....—........ द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 20-6-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 20-6-2022 अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य	4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य
योग		योग	